उत्तराखंड शासन
एस0 एस0 शर्मा, भा0व0से0
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
S.S. Sharma, IFS
P.C.C.F., Uttarakhand

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
85, राजपुर रोड, देहरादून
O/o P. C. C. F. Uttarakhand,
85, Rajpur Road, Dehradun

क्रमांक / No 270 F.C.

दिनांक / Date 01-04-2014

विषय : **देहरादून तहसील विकासनगर के ग्राम ढ़करानी, ढालीपुर, कालसी आदि क्षेत्रों में युमना नदी में बिना मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक व भारत सरकार की आख्या प्राप्त किये ही खनन पट्टे दिये जाने के संबंध में।**

प्रिय श्री D.C. पाठक,

उपरोक्त विषय में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा देहरादून जनपद के तहसील विकासनगर के ढ़करानी, डाकपत्थर, ढालीपुर व कालसी आदि क्षेत्रों के समीप कतिपय व्यक्तियों को खनन लीज के जो पट्टे निर्गत किये गये हैं वे सभी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा–2(24क) के प्राविधानों को आकृष्ट करते हैं।

संरक्षण आरक्षिति (Conservation Reserve) को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा–2(24क) के अन्तर्गत नेशनल पार्क सेन्चुरी तथा कम्युनिटी रिजर्व की तरह ही संरक्षित क्षेत्र माना गया है। अतः आसन वैराज नेशनल पार्क/सेंचुरी की परिभाषा में आता है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि आसन संरक्षण आरक्षिति (Conservation Reserve) के अन्तर्गत खनन पट्टा हेतु जारी शासनादेशों में इंगित शर्तो के अनुसार **"स्वीकृत क्षेत्र नेशनल पार्क/सेंचुरी के दस किमी0 की परिधि में स्थित होने की दशा में पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है"**।

इस संबंध में आपको भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वन्य जीव प्रभाग की पत्र संख्या 6-58/2014 WL, दिनांक 28.03.2014 की छाया प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। भारत सरकार के उक्त पत्र में इस कार्यवाही को **नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्टैन्डिंग कमेटी की नीति एवं पर्यावरण संरक्षण का उलंघन** बताया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

संलग्न : यथोपरि।

डा0 वी.वी.आर.सी.पुरूषोतम, आई.ए.एस.,
जिलाधिकारी, देहरादून।

भवनिष्ठ,

(एस0एस0 शर्मा)

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा मे,

अपर मुख्य सचिव,
औद्योगिक विकास अनुभाग
उत्तराखण्ड शासन।

पत्र संख्या 1637/खनिज–खनन पट्टा–2014 दिनॉक मई 5, 2014

विषयः– **आसन कंजरवेशन रिजर्व से 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत पडने वाले खनन पट्टा क्षेत्र के पट्टाधारको को जारी नोटिस के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 785/VII–I/27–ख/2014 दिनॉक देहरादून 25 अप्रैल 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाइफ से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी इस कार्यालय के आदेश दिनॉक 15–4–2014 के क्रम में पट्टाधारको द्वारा शासन के समक्ष किये गये अनुरोध पर दिनाक 25–4–2014 को हुयी सुनवाई के सम्बन्ध में है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश में इंगित शर्तो में यह शर्त कि "स्वीकृत क्षेत्र नेशनल पार्क/सेंचुरी के दस कि0मी0 की परिधि में स्थित होने की दशा में पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नेशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाइफ से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा " के सम्बन्ध में पट्टाधारको के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख एवं इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश में भी उक्त शर्त का उल्लेख किया गया है। पट्टाधारको को प्राप्त Environment Clearance एवं शासनादेश में आसन कंजरवेशन रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पट्टा दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश/शर्त का उल्लेख न किये जाने के कारण, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 1480/खनिज/खनन पट्टा–2014 दिनॉक फरवरी 28, 2014 को सदस्य सचिव, राज्य वन्यजीव सलाहाकार परिषद उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया था।

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के अर्द्ध शासकीय पत्र 270 पी0ओ0 दिनॉक 1–4–14 द्वारा संज्ञान में लाया गया कि आसन संरक्षण आरक्षिति (Conservation Reserve) को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा–2 (24क) के अन्तर्गत नेशनल पार्क, सेन्चुरी तथा कम्युनिटी रिजर्व की तरह ही संरक्षित क्षेत्र माना गया है एवं आसन बैराज नेशनल पार्क/सेन्चुरी की परिभाषा में आता है। जिसके क्रम में आसन कंजरवेशन रिजर्व से 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत पडने वाले खनन पट्टा क्षेत्र के 05 पट्टाधारको, श्री अरूण कुमार शर्मा, श्री लोटस डवलपर्स, श्री सुशील कुमार, श्री सरदार सिंह व श्री अजय किशोर को इस

23/8/15

Scanned by CamScanner

कार्यालय द्वारा दिनांक 15—4—2014 को नोटिस जारी कर नेशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाइफ से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु 10 दिन का समय प्रदान किया गया।

उक्त नोटिस के क्रम में पट्टाधारको के अनुरोध पत्र पर दिनॉक 25—4—2014 को हुयी सुनवाई के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि तहसील विकासनगर जनपद देहरादून में आवंटित समस्त खनिज के खनन पट्टे समस्त औपचारिकता पूर्ण किये जाने के उपरान्त नियमानुसार निर्गत किये गये है एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई/शासन से बिना मार्गदर्शन प्राप्त किये शासन के वैध खनन को स्थगित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतकर्ता इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि जब तक प्रदेश में वैध खनन को बढावा नही दिया जायेगा तब तक अवैध खनन की प्रबल सम्भावनाये बनी रहेगी। अतः प्रदेश के वैध खनन को बढावा दिया जाय।

अतः अनुरोध है कि उक्त परिपेक्ष्य में मार्ग दर्शन/दिशा निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। शासन से मार्ग दर्शन प्राप्त होने की प्रत्याशा में इस कार्यालय के उक्त आदेश दिनॉक 15—4—2014 के क्रम में की जाने वाली कार्यवाही को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जा रहा है।

भवदीय,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपिः— निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सूचना का अधिकार अधिनियम 05 के अन्तर्गत प्रमाणित
22/5/15
(खनिज)
देहरादून

Scanned by CamScanner

SN-10

सर्वोच्च प्राथमिकता/कोर्ट केस

संख्या– 763 /X–3–14–15(30)/2014

प्रेषक

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. अपर मुख्य सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

2. सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

3. प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

4. सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

5. निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
भोपालपानी, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः–27 जून, 2014

विषयः– जनहित याचिका संख्या–66/2014 विजय राम शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि राज्य में खनन पट्टों को आवंटित करने के संबंध में निर्धारित नीति–नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अवैध खनन को रोकने के संबंध में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दाखिल विषयगत याचिका संख्या–66/2014 विजय शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2014 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:–

The State Government is directed to ensure that the policy of the State Government as well as the policy of the Union of India is not breached by any of its officers or by the private respondents in any manner whatsoever. The responsibility on that account starts from today.

2– अतः विषयगत मामले में मा0 न्यायालय के उक्त निर्णय की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

D/Note & drft/F-3/कोर्ट केस–2014

Scanned by CamScanner

(38)

प्रेषक,

उप निदेशक/भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
जिला कार्यालय देहरादून।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

संख्याः 260 /दू0घा0/ख0प0–स्क्री0नि0–हा0मि0–ख0म0/जि0कार्या0देदून/2018–19 दिनांकः 24 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2018

विषयः दून घाटी क्षेत्रान्तर्गत/आसन संरक्षण आरक्षित जरी खनन पट्टे/स्कीनिंग प्लान्ट/हांट मिक्स प्लान्ट/खनन भण्डारण इत्यादि की अनुज्ञाऐं निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के पत्र संख्या 614/खनन/भू0खनि0ई0/दे0दू0/2018–19, दिनांक 01 अगस्त, 2018 जो आपके साथ–साथ इस कार्यालय को भी सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासन के पत्र संख्या 1730/VII-1/2018/04–ख/2014 T.C.। दिनांक 23 जुलाई, 2018 के द्वारा श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा निवासी अस्पताल रोड, विकासनगर देहरादून के पत्र दिनांक 14.07.2018 की छायाप्रति संलग्न कर उक्त पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में सुविचारित प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अपर निदेशक महोदय द्वारा शासन के पत्र दिनांक 23 जुलाई, 2018 के साथ संलग्न श्री रघुनाथ सिंह नेगी के पत्र दिनांक 14.07.2018 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए उक्त पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

शासन के पत्र संख्या 1730/VII-1/2018/04–ख/2014 T.C.। दिनांक 23 जुलाई, 2018 के साथ संलग्न श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा निवासी अस्पताल रोड, विकासनगर देहरादून के पत्र दिनांक 14.07.2018 जिसमें उल्लेख किया गया है कि तहसील विकासनगर, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित जो कि दूनघाटी व आसन संरक्षण आरक्षित की परिधि के 10 कि0मी0 की जद में आने वाले समस्त प्रकार के खनन कार्य यथा खनन पट्टे, स्कीनिंग प्लान्ट, स्टोन केशर, हॉट मिक्स प्लान्ट इत्यादि को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका सं0 66/2014 के तहत अपने आदेश दिनांक 02.07.2015 के द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है तथा इसी कम में अध्यक्ष, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.04.2015 के द्वारा पूर्ण रूप से परिभाषित कर उक्त परिधि के अन्तर्गत एन0ओ0सी0 प्राप्त किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.04.2014 के द्वारा कन्जर्वेशन रिर्जव के सम्बन्ध में नेशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड से अनुमति लिये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त प्रावधानों के होते हुए भी शासन स्तर से खनन पट्टे, स्कीनिंग प्लान्ट, स्टोन केशर, खनन भण्डारण इत्यादि की अनुज्ञाऐं/लाईसेंस जारी किये जा रहे हैं। अतः मा0 न्यायालय एवं प्राधिकरणों के प्रावधानों का सम्मान करते हुए दून घाटी क्षेत्रान्तर्गत उक्त अनुज्ञायें निरस्त करने का अनुरोध शासन से किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखण्ड में दायर जनहित याचिका संख्या 66/2014 विजय राम शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एंव अन्य दायर की गयी जिसमें याचीकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से नेशनल

उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned by CamScanner

पार्क, सेन्चुरी व प्रोटेक्टेड एरिया से 10 कि0मी0 की परिधि में स्थित खनन पट्टा क्षेत्रों में चुगान/खनन का कार्य प्रतिबन्धित करने तथा बिना पर्यावरणीय अनुमति के खनन/चुगान की अनुमति न दिये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया था। उक्त जनहित याचिका में याचीकर्ता के द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं वन को प्रतिवादी संख्या 01 एंव जिलाधिकारी, देहरादून को प्रतिवादी संया 02 तथा अन्य 07 को प्रतिवादी बनाया गया। जनहित याचिका संख्या 66/2014 विजय राम शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02, जुलाई, 2015 को पारित आदेश के अंश निम्नवत है......

............if it is found it is beyond ten kilometers, we further direct that they will be free to carry on mining as par law; whereas if tis is found that it is within ten kilometers, as we have prima facie found, our order that mining will not be carried out will continue to be enforced.

Accordingly following the judgement of the Writ Petition (PIL) no. 41 or 2015 be direct the seconed respondent to forthwith enforce provision of the mining being done by the private respondent no. 4,5,7 and 8.

Shri M.C. Pant, learned counsel for the 4th respondent would summit that the Chief WildLife Warden should be given direction to determine the boundaries. It is submitted by Shri D.S.Patni, learned counsel for the Petioner that the boundaries have already been determined. In such circumstances, we would think that similar direction can be issued as we have given in the earlier judgment. We would direct the additional respondent No. 12, in association with an officiers to deputed by the District Magistrate, who is familiar with surveying to measures the distance of the property of the respondent no. 4,5,6,7,8 and 9 from the boundry of "Assan Wetland Conservation Reserve" and if it is found that it is beyond ten Kilometers, we further direct that the respondent no. 4 to 8 will be free to carry on the mining as per law.

.... also is concerned, unless it is found that the distance is within 10 Kms, the 9th respondent will be free to continue to mine as per law; whereas if it is found that it is within 10 Kms, as we have prima facie found in respect of respondent Nos. 4 to 8, if it is within 10 Kms, the mining will not be allowed to be carried out by the 2nd respondent. ......

जनहित याचिका संख्या 66/2014 विजय राम शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राजय में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02, जुलाई, 2015 को पारित आदेश के कम में पत्र संख्या 714/खनन/रिट/भू0खनि0ई0/2015-16 दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 के द्वारा प्रश्नगत जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर किये जाने हेतु आख्या शासन को प्रेषित की गयी थी। तदोपरान्त शासन के निर्देशानुसार जनहित याचिका संख्या 66/2014 विजय राम शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02, जुलाई, 2015 को पारित आदेश के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में एस0एल0पी0 दायर की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 02 जुलाई 2015 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में पुर्नविचार याचिका दायर किये जाने के निर्देश दिये गये।

मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनहित याचिका संख्या 66/2014 विजय राम शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02, जुलाई, 2015 को पारित आदेश के विरूद्ध उत्तराखण्ड शासन की ओर से मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में पुर्नविचार याचिका संख्या 5823 ऑफ 2016 दायर की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा दिनांक 12.01.2017 को निम्नवत आदेश पारित किया गया.......

17. We would think that this cannot form the foundation for us to come to the conclusion that Assan Wetland Conservation Reserve is excluded. There is a notification under Section 3(2)

उपनिदेशक / भूवैज्ञानिक
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned by CamScanner

(V) of Environment (Protection) Act. There is also a notification under the WildLife (Protection) Act, treating it is a protected area. There further aspect, which is to be noticed in all these cases is that the effect of the order dated 01-12-2009 has been culled out by us in our judgement. This is despite the notification issued under the Environment Protection Act amending the earlier notification of 2006. We have held that the projects, which are of greater importance are to be screened at the national level and the projects which are of lesser importance they are to be screened as category B at the state Level. It may be true that in regard to areas, where mining is done if it is less than 5 hectares, it would not be treated as category A to be screened at the central level, though general conditions would apply, as has been made clear in the latest notification relied on by Mr. J.P.Joshi, learned senior counsel. Their only has the effect of permitting screening to take place at the State Level and not at the Central level. It does not have anything to do with the obligation to secure consent under the Wildlife (Protection) Act.

18- Lastly, attempt was made to draw our attention to the judgment of the Apex court in the case of Goa Foundation Vs. Union of India and others reported in (2014) 6 Supreme Court Cases 590. The question whether the court has banned mining, we think, need not detain us in deciding these review petition.

19- In such circumstances, the review petitions fail and are dismissed. No order as to costs

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में पट्टाधारक श्री जगबीर सिंह पुत्र श्री जीत सिह निवासी धर्मावाला एंव श्री जितेन्द्र धवन पुत्र श्री भगवान दास धवन नि0 शहदरा दिल्ली द्वारा एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति प्राप्त की गयी है। शेष अन्य 07 पट्टाधारकों के प्रकरण को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखण्ड वन्य जीव बोर्ड की बैठक दिनांक 15.06.2018 द्वारा "राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड" हेतु विचारार्थ रखे जाने हेतु अनुमोदित किया गया है।

जनपद देहरादून में स्वीकृत खनन पट्टे, स्कीनिंग प्लान्ट, स्टोन केशर, हॉट मिक्स प्लान्ट, खनिज भण्डारण इत्यादि के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त से सम्बन्धित अनुज्ञायें/लाईसेंस शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित नीतियों, नियमावलियों के प्राविधानानुसार गठित समिति की आख्या के उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त है।

कृपया उपरोक्तानुसार आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय,

24/09/18

(डा0 दीपक हटवाल)
उप निदेशक/भूवैज्ञानिक।

पृष्ठांकन संख्या: 260/दू0घा0/ख0प0–स्की0नि0–हा0मि0–ख0प0/जि0कार्या0देदून/2018–19, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून को उनके पत्र संख्या 614/खनन/भू0खनि0ई0/दे0दू0/2018–19, दिनांक 01 अगस्त, 2018 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

24/09/18

(डा0 दीपक हटवाल)
उप निदेशक/भूवैज्ञानिक।

उपनिदेशक / भूवैज्ञानिक
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned by CamScanner

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

पत्रावली सं० 52 रिट/14 T.C. 1 के उद्धरण

·57·

पत्रावली सं0 52 रिट/2014 T.C. दिनांक 20.07.2018

वि0 पत्रः– श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास अस्पताल रोड, विकासनगर देहरादून का पत्र दिनांक 14.07.2018

कमांक :

अनु सचिव

कृपया वि0पत्र का संलग्नक सहित अवलोकन करने का कष्ट करें।

2 वि0पत्र के द्वारा दून घाटी क्षेत्रान्तर्गत/आसन संरक्षण आरक्षित (Conservation Reserve) जारी खनन पट्टे/स्क्रीनिंग प्लांट/हाटॅ मिक्स प्लांट/खनन भण्डारण इत्यादि की अनुज्ञायें निरस्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3. अवगत कराया गया है कि तहसील विकास नगर, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित, जोकि दून घाटी व आसन संरक्षण आरक्षित की परिधि के 10 Km की जद में आने वाले समस्त प्रकार के खनन कार्य यथा खनन पट्टे, स्क्रीनिंग प्लांट, स्टोन क्रेशर, हॉट मिक्स प्लांट इत्यादि को मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका (पीआईएल) 66/2014 के तहत अपने आदेश दिनांक 02/07/15 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तथा इसी क्रम में अध्यक्ष दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.04.2015 के द्वारा पूर्ण रूप से परिभाषित कर उक्त परिधि के अन्तर्गत NOC प्राप्त किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र दिनांकित 01.04.2014 के द्वारा Conservation Reserve के संबंध में National Wild Life Board से अनुमति लिये जाने का उल्लेख किया है।

उक्त के अतिरिक्त वि0पत्र के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रावधानों के होते हुए भी शासन स्तर से खनन पट्टे, स्क्रीनिंग प्लांट, स्टोन क्रेशर, खनन भण्डारण इत्यादि की अनुज्ञाऐं/जारी किये जा रहे है, जो कि विहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आवदेक श्री शर्मा द्वारा उपरोक्तानुसार मा0 न्यायालय एवं प्राधिकरणों के प्रावधानों का सम्मान करते हुए दून घाटी क्षेत्रान्तर्गत उक्त अनुज्ञाऐं निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः श्री रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा, निवास अस्पताल रोड, विकासनगर देहरादून के पत्र की प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को प्रेषित करते हुए विषयगत प्रकरण में किये गये अनुरोध के क्रम में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सुविचारित प्रस्ताव, अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। तदनुसार आलेख्य की प्रति सम्मुख रक्षित है। कृपया सहमति की दशा में आलेख्य अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

20/7/2018
(दीपक जोशी)
अनुभाग अधिकारी
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
उत्तराखण्ड शासन।

अनु सचिव (अवकाश पर)

उप सचिव

20.7.2018
(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

JS

24.7.18
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
अपर सचिव,
खनन,
उत्तराखण्ड शासन।

(...ा रावली)
...क्त सचिव,
...कास विभाग(खन...
...ण्ड शासन।

23/7/2018

प्रकाश

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

पत्रांक 325/खनन–अनु0/2015 दिनांक– 16 जून 2015

बिषयः– आवेदित खनन पट्टाधारकों को पट्टा निर्गत करने से पूर्व दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्रधिकरण, देहरादून से अनापत्ति प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अपीलार्थी श्री रघुनाथ सिह नेगी, अध्यक्ष, जन संघर्ष मोर्चा, अस्पताल रोड विकासनगर द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्रधिकरण, देहरादून के पत्र के कम में आयुक्त, गढवाल मण्डल/अध्यक्ष, दून घाटी विषेश क्षेत्र विकास प्रधिकरण, देहरादून द्वारा अपील संख्या 17061/2015 श्री रघुनाथ सिह नेगी बनाम लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून 12 प्रीतम रोड देहरादून ने अपने पत्र संख्या 672/04(61)/लोक सूचना–अपील/2014–15 दिनांक 28 अप्रैल 2015 में उल्लेख किया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत श्री रघुनाथ सिह नेगी, अध्यक्ष, जन संघर्ष मोर्चा, अस्पताल रोड विकासनगर द्वारा लोक सूचना अधिकारी, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून से अनुरोध पत्र के बिन्दु सं0– 2 में विकासनगर व आस–पास अर्थात् दून घाटी क्षेत्र के अन्तर्गत निजी नाप भूमि पर जारी खनन पट्टों के मामले में विभाग द्वारा दी गयी अनुमति, यदि अनुमति नही दी गयी है तो प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु धारा–6(3) के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी, विकासनगर को अन्तरित किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है " विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 के अध्याय–1 धारा–2(च) में उल्लिखित है कि विकास का तात्पर्य इसके व्याकरणिक रूप–भेद सहित, भूमि में, उस पर, उसके ऊपर या उसके नीचे निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन या अन्य कियायें या ऐसे क्षेत्र में किसी भवन या भूमि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करके किसी क्षेत्र के कृषि सम्बन्धी, औद्योगिक और सामाजिक, आर्थिक विकास भी है। इसी प्रकार अध्याय–2 में धारा–6(5) में भवन निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन कियाओं और अन्य निर्माण को कार्यान्वित करना वर्णित है। अधिनियम के अध्याय–4 में धारा–13(1) में उल्लेख किया गया है कि किसी विशेष विकास क्षेत्र के लिये प्राधिकरण की स्थापना होने के पश्चात् उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसके अन्तर्गत सरकार का कोई विभाग भी है, या सार्वनिजक या प्राइवेट सैक्टर में किसी उपकम द्वारा भूमि का विकास कार्य तब तक नही लिया जायेगा या कार्यान्वित नही किया जायेगा या जारी नही रखा जायेगा। जब तक कि ऐसे विकास के लिये लिखित अनुज्ञा इस अधिनियम के उपबन्धों कें अनुसार प्राधिकरण से प्राप्त न कर ली गयी हो।"उपरोक्त नियम का उल्लेख करते हुये वर्णित अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के खनन पट्टा निर्गत करने से पूर्व दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

Scanned by CamScanner

7

उपरोक्त सन्दर्भ में खनिज नीति–2011 के प्रस्तर–6 में उल्लेख किया गया है कि नदी तल से सम्बन्धित वन भूमि को छोडकर निजी नाप भूमि के निजी नाप भूमि के खनन पट्टों को स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपखनिज का चुगान नदी के मध्य से चौडाई का 15 प्रतिशत दोनों किनारों से छोडते हुये स्वीकृत/विज्ञापित किये जाने की प्रकिया अपनायी जायेगी। ऐसे क्षेत्रों के चिन्हीकरण हेतु जनपद के जिलाधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर के मध्य उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमैटी का गठन कर स्वीकृत किये जाने/प्रतिबंधित किये जाने वाली भूमि की सूचना निदेशक; भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई को जिलाधिकारी के माध्यम से सूचित करेगे।

वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित संयुक्त निरीक्षण आख्या के प्रारूप में सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, (सदस्य), प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, (सदस्य), खान अधिकारी/खान निरीक्षक, खनन विभाग, (सदस्य सचिव) एवं उप जिलाधिकारी, राजस्व विभाग, (अध्यक्ष) नामित है। अतः आयुक्त महोदय से प्राप्त निर्देशों के कम में संबन्धित क्षेत्र के प्राधिकरण के अभियन्ता को भी सदस्य नामित किया जाना उचित होगा।

अतः कृपया माननीय सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश के कम में आयुक्त महोदय गढ़वाल मंण्डल पौड़ी द्वारा निर्गत उक्त निदेश के कम में कृपया खनन पटटा निर्गत किये जाने से पूर्व दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

Scanned by CamScanner